

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
(आय व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(230)वित्त-1(1) / आय व्ययक / 2016 /  
कोषाधिकारी,  
जयपुर ग्रामीण, राजस्थान।

दिनांक: 12. X. 2017

356  
(स्वीकृति संख्या /2017-18)  
विषय : वर्ष 2017-18 में नगर पालिकाओं के निजी निक्षेप खातों में राशि हस्तान्तरण  
बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर की स्वीकृति क्रमांक : प.6(ट)(159)लेखा /डीएलबी/चु.पु.अनु/2013-14/14808-38 दिनांक: 05.10.2017 (प्रति संलग्न) में अंकितानुसार सम्बन्धित नगर पालिकाओं के निजी निक्षेप खातों में कुल राशि रुपये 193.34 लाख (अक्षरे एक करोड़ तिरानवें लाख चौंतीस हजार मात्र) निम्न बजट मद में व्यय अंकित करते हुए हस्तान्तरित कर दी जावे:-


मांग संख्या - 29

- 2217 - शहरी विकास  
80 - सामान्य  
192 - नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता  
(45) - विशेष अनुदान  
[01] - स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से - प्रतिबद्ध  
12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) - राज्य निधि

राशि रुपये 193.34 लाख


उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के लिए ही किया जावे। किसी भी परिस्थिति में अन्य प्रयोजनार्थ राशि आहरित नहीं की जावे।

भवदीय

  
(जितेंद्र सिंह)  
संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवम् हक/लेखा परीक्षा-I राजस्थान, जयपुर।
02. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
03. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
04. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
05. जिला कलेक्टर, जयपुर, राजस्थान।
06. संबंधित नगर पालिका,.....।
07. संयुक्त सचिव वित्त (व्यय-3) विभाग, राज0 जयपुर।
08. अनुभाग अधिकारी, वित्त (बजट) विभाग, जयपुर।
09. वित्त (मार्गोपाय) अनुभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, जयपुर।
11. सुरक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

जी-3, राज महल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, जयपुर

ई-मेल- caodlb@gmail.com

टेलीफोन/फैक्स नं- 0141-2223074

क्रमांक : प.6(ट)(159)लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु/2013-14/ १५८०८

दिनांक ५-१०-१७

—:: स्वीकृति आदेश ::—

विषय : नगर पालिकाओं को वर्ष 2016-17 में व्यपगत हुई राशि की चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृति बबात।

वर्ष 2016-17 में जयपुर जिले की निम्न नगरीय निकायों की व्यपगत हुई राशि रूपये 193.34 लाख (अक्षरे एक करोड़ तिरानवें लाख चौतीस हजार मात्र) भुगतान किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

विकलेय मद

मांग संख्या - 29

2217 - शहरी विकास

80 - सामान्य

192 - नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता

(45) - विशेष अनुदान

[01] - स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से - प्रतिबद्ध

12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि)

बजट प्रावधान

स्वीकृत प्रावधान - 77312.79 लाख

अतिरिक्त प्रावधान - 0.00 लाख

कुल स्वीकृत प्रावधान - 77312.79 लाख

पूर्व स्वीकृति पर व्यय - 38995.54 लाख

इस स्वीकृति पर व्यय - 193.34 लाख

शेष - 37123.91 लाख

(राशि लाखों में)


क्र.सं.	नगर पालिका	राशि
1	2	3
कौष कार्यालय जयपुर ग्रामीण (1109)		
1	सांभर	11.04
2	चाकसू	37.76
3	कोटपूतली	42.14
4	चौमूं	38.36
5	फुलेरा	12.18
6	जोबनेर	9.78
7	किशनगढ़ रेनवाल	9.64
8	शाहपुरा	14.45
9	विराटनगर	7.01
10	बगरू	10.98
	योग	193.34

उपरोक्त राशि निदेशक वित्त (बजट) विभाग द्वारा सम्बन्धित नगर पालिकाओं के निजी निक्षेप खाते में हस्तानात्तरित करने की वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। इस स्वीकृति के लिए वित्त (व्यय-3) विभाग की सहमति आई.डी.क्रमांक 171701018 दिनांक 26.09.2017 द्वारा विभागीय पत्रावली पर प्राप्त कर ली गई है।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

01. निजी सचिव, माझमंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर ।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर ।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज० जयपुर ।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज० जयपुर ।
05. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज० जयपुर को राशि सम्बन्धित नगर पालिकाओं के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित करने की स्वीकृति जारी कराने की कार्यवाही हेतु । वित्त विभाग की टिप्पणी के क्रम में आरयूआईडीपी आदि की बकाया राशि की कटौतियां राज्य वित्त आयोग अनुदान से की जावेगी ।
06. महालेखाकार, (लेखा एवं हक)/(लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) राज० जयपुर ।
07. वरिष्ठ उप महालेखाकार, स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा एवम् लेखा राजस्थान जयपुर ।
08. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-३) विभाग, राज० जयपुर ।
09. जिला कलेक्टर, जयपुर, राजस्थान ।
10. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
11. लेखाधिकारी, महालेखाकार कार्यालय, लेखा एवं हक (डी.डी.प्रथम अनुभाग) जयपुर ।
12. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर ।
13. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज० जयपुर ।
14. निदेशक, कोष एवं लेखा, राज० जयपुर ।
15. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर (ग्रामीण) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्वीकृति के आधार पर संबंधित नगरीय निकायों के निजी निक्षेप खातों में राशि हस्तान्तरित करावे ।
16. आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, सांभर/चाकसू/कोटपूतली/चौमूँ/ फूलेरा/जोबनेर/ किशनगढ़—रेनवाल/शाहपुरा (जयपुर)/ विराटनगर/बगरु को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रथमतः वेतन एवम् भत्तों के भुगतान एवं कर्मचारियों की कटौतियों को जमा कराने हेतु राशि आहरित करें तथा इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र विभाग को भिजवावें । साथ ही अगला चैक पारित करवाने से पूर्व कोषाधिकारी को प्रतिमाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि पूर्व में आहरित की गयी राशि में से कर्मचारियों के वेतन एवम् भत्तों की राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है तथा कटौती की राशि सम्बन्धित लेखों में जमा करवा दी गयी है ।
17. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर ।
18. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय ।
19. बजट शाखा/अंक मिलान शाखा निदेशालय ।
20. प्रभारी, वेबसाईट/प्रभारी ई—गवर्नेन्स/समन्वयक, सी.एम.ए.आर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
21. सुरक्षित पत्रावली ।

  
(हुलास राय पवार)  
मुख्य लेखाधिकारी